

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत

केम्प शेखावती

नियम

इशाराशाह

बनाम

सुबी देवा

किस्म मुकदमा

००, ५३, R.T.A.A.

नं

१८९

सन्

२०१७

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/5/18	<p>कथन व ज्ञान भूतियाक तहमीलवा पचपदा की कथन से मध स्पष्ट सिद्ध होता है कि पोचाराय कूडे वरके से शुभशुदा व्यक्ति है जिसके संबंध में सिविल न्यायालय में सिविल मुकदमे की घोषणा के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।</p> <p>इत वदी का वाद खारिज किया जाने का आदेश पारित किया जाता है। वदी को लगभग न्यायालय से घोषणा के पश्चात खारिज की घोषणा का वाद होने में स्वतंत्र रहनी।</p> <p>पत्रावली निरीति की जाया दायिल पफत होकर नम्बर ६ एककत है।</p>	

(भागीरथ राम)  
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, कोर्ट केम्प-2018  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
 बालोतरा केम्प.....